राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 27/2018

छोटूराम पुत्र भग्गूराम उम्र 48 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी चौलाई तन् कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादी

ब–ना–म

1. पूर्णमल पुत्र भगवानाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी भीवाकावाली तन् कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. मंगला पुत्र गणपत
3. रूडाराम पुत्र स्व. मुखाराम
4. रामस्वरूप पुत्र स्व. मुखाराम
5. नानचा पुत्र स्व. मुखाराम
   जाति गुर्जर निवासी ढाणी घाघला वाली तन् कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. सचिव ग्राम पंचायत कांकरिया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: **दिनांक 19–10–2022**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2050 लगायत 2053 के खाता सं. 193 के खसरा नंबर 410 रकबा 0.22 है., ख.नं. 411 रकबा 0.24 है., ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है. भूमि मंगला वल्द गणपत, मुखा वल्द शोभा, जग्गू, नाथा पिता परसा कौम गुर्जर सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड है जिसमें उक्त चारों खातेदारों का बराबर–बराबर हिस्सा है। खातेदार जग्गू व नाथा के फौत होने पर उनके स्थान पर उनके वारिशान मु. सुरजी बेवाह रमको, मोतीराम, बंशीराम पुत्रान रमको, मूलाराम, हनुमान छोटूराम पुत्रान जग्गू, छोटी देवी बेवाह नाथा, बोदूराम, रामेश्वर पुत्रान नाथा के नाम से विरासतन नामांतरकरण दर्ज हो गया। उपरोक्त वर्णित भूमि खाता सं. 193 के खसरा नंबर 410 रकबा 0.22 है., ख.नं. 411 रकबा 0.24 है., ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 [illegible] 5 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है. में से 1/2 हि[illegible] की भूमि वादी ने उक्त जग्गु व नाथा के वारिशान मु. सुरजी बेवाह र[illegible] पुत्रान रमको, मूलाराम, हनुमान छोटूराम पुत्रान जग्गु, छोटी देवी बेवाह नाथा, बोदूराम, रामेश्वर पुत्रान ना[illegible] जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 02.12.1996 को [illegible]ीद की थी तथा वादी को उक्त विवादित भूमि में से ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. पर कब्जा दिया था। खरीद के दिन से ही वादी अपने हिस्से की भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है जिसका नामांतरकरण वादी के नाम से दिनांक 10.07.1998 नामांतरकरण सं. 148 के दर्ज हो गया। उक्त भूमि खसरा नंबर 410 रकबा 0.22 है., ख.नं. 411 रकबा 0.24 है., ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है. के वर्तमान में दो खाते बन गये जो निम्न प्रकार से बने हैं :– खाता सं. 142 खसरा नंबर 410 रकबा 0.22 है., ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. जो पूर्णमल पुत्र भगवाना जाति गुर्जर हि. 0.42 है. मंगला पुत्र गणपत, मुखा वल्द शोभा हिस्सा 0.14 है. दर हिस्सा 2/3 छोटू पुत्र भागुराम हिस्सा 1/3 कौम माली सा.देह खातेदार एवं खाता सं. 141 ख.नं. 411 रकबा 0.24 है. पूर्णमल पुत्र भगवाना जाति गुर्जर हि. 0.1196 है. ग्राम पंचायत कांकरिया पं.स. खेतड़ी हिस्सा 0.04 है. वर्गमीटर, मंगला पुत्र गणपत, मुखा वल्द शोभा हिस्सा 0.04 है. दर हिस्सा 2/3 छोटू पुत्र भागुराम हिस्सा 1/3 कौम माली सा.देह खातेदार दर्ज है जो गलत दर्ज है। वादी ने जब पूर्व खातेदार मु. सुरजी बेवाह रमको, मोतीराम, बंशीराम पुत्रान रमको, मूलाराम, हनुमान छोटूराम पुत्रान जग्गु, छोटी देवी बेवाह नाथा, बोदूराम, रामेश्वर पुत्रान नाथा से उनके 1/2 हिस्से की भूमि खरीद की तब वादी को ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख. नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 है. में से 0.5450 है. पर कब्जा दिया गया था तथा वादी का वर्तमान में भी इनहीं खसरा नंबरान पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन खाता सं. 142 खसरा नंबर 410 रकबा 0.22 है., ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख. नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. में वादी का 1/3 हिस्सा व खाता सं. 141 ख.नं. 411 रकबा 0.24 है. में 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जो कतई गलत है। वादी का हाल जमाबन्दी संवत् 2070 लगायत 2073 के खाता सं. 142 ख.नं. 410 रकबा 0.22 है., ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. में से ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 है. में से 0.5450 है. पर कब्जा काश्त है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का है। इस भूमि में प्रतिवादी सं. 2 लगा. 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है एवं हाल जमाबन्दी संवत् 2070 लगा. 2073 के खाता सं. 141 ख.नं. 411 रकबा 0.24 है. भूमि प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 6 की है इस भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 2 लगा. 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। इसलिये वादी को यह वाद घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2070 लगायत 2073 के खाता सं. 142 खसरा नंबर 410 रकबा 0.22 है., ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. में से वादी को ख.नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल कता 3 कुल रकबा 0.63 है. में से 0.5450 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा उक्त खाते से प्रतिवादी सं. 2 लगा. 5 का नाम हटाया जावे [illegible] हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का दर्ज किया जावे।

(ख) वाके ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित [illegible] जमाबन्दी संवत् 2070 लगायत 2073 के खाता सं. 141 खसरा नंबर 411 रकबा 0.24 है. में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 का नाम हटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2050–53, संवत् 2054–57, संवत् 2058–61, संवत् 2062–65, संवत् 2066–69, संवत 2070–73 खाता सं. 142, खाता सं. 141 ग्राम कांकरिया, नकल नक्शा किश्तवार, नकल नामांतरकरण सं. 148, 538, 578, फोटोत प्रति विक्रय पत्र दिनांक 02.12.96 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र छोटूराम पुत्र भगूराम (पी.डब्ल्यू.–1), रामेश्वरलाल पुत्र करनाराम (पी.डब्ल्यू.–2), धूड़ाराम पुत्र भागरू (पी.डब्ल्यू.–3) भी पेश किये गये।

वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार, खेतड़ी से राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1995 दिनांक 4.04.2022 से पटवारी हल्का कांकरिया की मूल रिपोर्ट भिजवाई है जो निम्नानुसार है :–

1. राजस्व ग्राम कांकरिया के ख.नं. 410 रकबा 0.22 है., ख.नं. 411 रकबा 0.24 है., ख. नं. 413 रकबा 0.33 है., ख.नं. 414 रकबा 0.15 है., ख.नं. 415 रकबा 0.15 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है. में छोटूराम पि0 भागूराम कौम माली का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है जो गलत है।
2. प्रार्थी छोटूराम पि0 भागूराम के नाम दिनांक 02.12.1996 में विक्रय पत्र के हिस्सा 1/2 (0.54 है.) भूमि आई थी जिसका नामांतरकरण सं. 148 दिनांक 10.7.1978 में दर्ज हुआ जिसमें हिस्सा दर्ज नहीं है।
3. विक्रय पत्र दिनांक 21.10.2009 में मंगला वल्द गणपत, मुखा वल्द शोभा का नामांतरकरण सं. 538 दिनांक 20.11.2009 में हिस्सा 2/3 दर्ज कर दिया गया।
4. प्रार्थी छोटूराम पि0 भागूराम का हिस्सा 1/2 (0.5450 है.) के स्थान पर हिस्सा 1/3 (0.3698 है.) हो गया जो गलत है।
5. प्रार्थी का मौके पर 1/2 भाग पर कब्जा है। विक्रय पत्र में बेचान भी 1/2 भाग का ही है।
6. प्रार्थी छोटूराम पि0 भागूराम का मौके पर ख.नं. 413, 414, 415 पर कब्जा है।
7. राजस्व ग्राम कांकरिया की चालू जमाबन्दी संवत् 2074–77 के ख.नं. 410, 411, 413, 414, 415 कुल किता 5 कुल रकबा 1.09 है. छोटूराम पि0 भागूराम कौम माली नि0 कांकरिया का हिस्सा 1/3 के स्थान पर हिस्सा 1/2 किया जाना उचित है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजा, वाद पत्र के अभिवचनों एवं पटवारी हल्का कांकरिया की रिपोर्ट दिनांक 04–04–2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 02.12.1996 व नामांतरकरण सं. 148 के [illegible] स्पष्ट साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा निहित है [illegible]न जमाबन्दी संवत् 2070–73 खाता सं. 141, 142 में वादी का [illegible] 1/2 हिस्सा दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आदेश

अतः ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता सं. 141 में दर्ज खसरा नंबर 410, 413, 414, 415 कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. में वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार मुखा पुत्र शोभा को 1/2 हिस्से का तथा खाता सं. 140 के खसरा नंबर 411 रकबा 0.24 है. में वादी को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 6 को 1/600 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार मुखा पुत्र शोभा को 299/600 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

छोटूराम

ब–ना–म

पूर्णमल आदि

दावा बाबत **घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– **27/2018**

निर्णय दिनांक :– **19–10–2022**

वादी की ओर से **श्री शीशराम सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **19–10–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम कांकरिया तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता सं. 141 में दर्ज खसरा नंबर 410, 413, 414, 415 कुल किता 4 कुल रकबा 0.85 है. में वादी को 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार मुखा पुत्र शोभा को 1/2 हिस्से का तथा खाता सं. 140 के खसरा नंबर 411 रकबा 0.24 है. में वादी को 1/2 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 6 को 1/600 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1, 2 व खातेदार मुखा पुत्र शोभा को 299/600 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **19–10–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:16 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी